

कार्यालय
मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुरुग्राम
वन विभाग, हरियाणा सरकार,
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष/फैक्स - 0124-2655406

क्रमांक: - 2701

दिनांक: - 29/9/2021

सेवा में: -

वन मण्डल अधिकारी,
फरीदाबाद।

विषय: Diversion of 2.031 hac. of forest land for construction of Sr. Sec. School along with Surajkund Badkhal road KM 6-7, L Side at Village Mewla Maharajpur, Sector 43, Faridabad, under Forest Division and District Faridabad Haryana Proposal No. (FP/HR/SCH/41656/2019)

सन्दर्भ: आपका पत्र क्रमांक 519 दिनांक 17.09.2021

सन्दर्भांकित पत्र द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई जो निम्नप्रकार हैं:-

1. प्रस्ताव के साथ डी0टी0पी0 द्वारा जारी एन0ओ0सी0/सी0एल0यू0 नही भेजा। प्रयोक्ता एजेंसी से डी0टी0पी0 द्वारा जारी एन0ओ0सी0/सी0एल0यू0 की प्रति प्राप्त करके भेजें।
2. प्रस्ताव के साथ एन0एच0आई0/लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी एन0ओ0सी0 नही भेजा। प्रयोक्ता एजेंसी से एन0ओ0सी0 की प्रति प्राप्त करके भेजें।
3. प्रस्ताव के साथ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 की अनुपालना से सम्बन्धित जिलाधीन का प्रमाण पत्र नही भेजा।
4. प्रस्ताव के पार्ट II में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नही दर्शाई गई है जबकि विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना की गई है। और न ही उल्लंघना से सम्बन्धित वन अपराध रिपोर्ट की प्रति भेजी है।
5. प्रस्ताव की चैक लिस्ट संख्या 7 में प्रस्तावित स्थल के किला न0/खसरा न0 नही दर्शाये गए है।

अतः प्रस्ताव मूलरूप व online वापिस भेजते हुए निर्देश दिए जाते है कि उपरोक्त त्रुटियां दूर करके पुनः प्रस्ताव भेजा जाए।

संलग्न/उपरोक्त

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम।